1.अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति कल्याण समिति,
विधानसभा, राजस्थान सरकार
जयपुर ।
2. अध्यक्ष,
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति,
विधानसभा, राजस्थान सरकार
जयपुर ।

विषय :—जनरल मेरिट में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को राजकीय सेवाओं में अनारक्षित (unreseved) रिक्तियों में नियुक्तियां देने के क्रम में।

प्रसंग :—राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग (ए—जीर II) का परिपत्र संख्या एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./ए—11/99 दिनांक— 26 जुलाई, 2017 जयपुर के सन्दर्भ में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक परिपत्र के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य की समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की ओर से **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आरक्षण मंच**, **राजस्थान** निम्नलिखित तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर निम्न **अभ्यावेदन** प्रस्तुत करता हैः—

01. राजस्थान सरकार के **कार्मिक विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 3609/2017 शीर्षक दीपा ई.वी. विरूद्ध भारत संघ व अन्य के निर्णय दिनांक — 06 अप्रैल, 2017 का** सन्दर्भ देते हुए उक्त परिपत्र **दिनांक — 26 जुलाई, 2017** बिना विधिक स्थिति का आंकलन किये आनन फानन में जारी किया गया है जो अब तक सुस्थापित विधिक स्थिति के विपरीत होकर इन समुदायों के सदस्यों को हानि पहुंचाने के लिये जारी किया गया है।

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सन्दर्भित **निर्णय में किसी भी राज्य सरकार को इसकी अनुपालना में अधिसूचना या परिपत्र जारी करने के कोई निर्देश नहीं हैं।** इस प्रकार राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा **स्वतः जारी परिपत्र दिनांक— 26 जुलाई, 2017** पूर्णतः उक्त निर्णय के विपरीत होकर विधि सम्मत नहीं है।

03. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय में एक्सपोर्ट इन्सपेक्सन कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भारत सरकार में रिक्तियां **एक्सपोर्ट इन्सपेक्सन ऐजेन्सी (रिक्रूटमेंट) नियम, 1980** के अन्तर्गत रिक्तियां भरी गई हैं। तदानुसार यह निर्णय उक्त विभाग के नियमों के सन्दर्भ में जारी किया गया है। अतः इसे अन्य राज्यों में लागू नही किया जा सकता है। जबकि राजस्थान के विभिन्न सेवा नियमों में ऐसे प्रावधान होकर प्रभावी नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्णय के सन्दर्भ में परिपत्र जारी करना सुस्थापित विधि के विपरीत है जिससे इन वर्गों के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

04. यह कि परिपत्र दिनांक –26 जुलाई, 2017 विभाग के **दिनांक–04.03.2014** के उल्लंघन में जारी किया गया है, **इससे पूर्व इस सम्बन्ध में दिनांक– 11.05.2011 एवं 04.03.2002 को विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर इस बिन्दु पर लाभान्वित किया गया था।** इस प्रकार सन्दर्भित परिपत्र जारी करने से इन समुदायों के अभ्यार्थियों को **जो जनरल मेरिट में आते है उनको जनरल श्रेणी में नियुक्ति नहीं देकर उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है।**

इसी क्रम में **इन्दिरा साहनी विरूद्ध भारत संघ** (1992 SUPP, (3) SCC 217½ ¼माननीय 9 न्यायाधीशों की वृहद पीठ), **आर. के. सबरवाल विरूद्ध पंजाब राज्य** ((1995) 2 SCC 745)(माननीय 5 न्यायाधीशों की पीठ), **एम. नागराजन विरूद्ध भारत संघ व अन्य** (2006 AIR SCW–5482 SC), **रोहताश भारखर विरूद्ध भारत संघ, जितेन्द्र कुमार सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य,** ((2010) 3 SCC 119) **विकर सांखला विरूद्ध विकास अग्रवाल व अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग** के सदस्यों के निर्णयों में यह निर्णित किया गया है कि यदि इन वर्गों का अभ्यर्थी अनारक्षित/मैरिट के अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करता है तो उसे अनारक्षित/मैरिट की रिक्तियों के विरूद्ध ही चयनित कर नियुक्ति दी जाऐगी।

संविधान की भावना के अनुरूप केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मद्धेनजर रखते हुऐ राजकीय सेवाओं/शिक्षा/राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अतः इन वर्गो की हजारों वर्षो की दयनीय स्थिति को मद्धेनजर रखते हुऐ विशेष छूट यथा–आयु,प्राप्तांक,शारिरिक मापदण्डो तथा आवेदन शुल्क में प्रदान की गई थी ताकि इस वर्ग के अभ्यार्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। चूॅकि आज भी इन वर्गो की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नही हुआ है, अतः दिनांक 26 जुलाई 2017 को जारी परिपत्र इन वर्गों के हितों पर भारी कुठाराघात है।

इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा माननीय न्यायालय की **सविल अपील संख्या 3609/2017 शीर्षक दीपा ई.वी. विरूद्ध भारत संघ व अन्य के निर्णय दिनांक 06 अप्रैल, 2017 में किसी प्रकार के दिषा निर्देष अन्य राज्यों को जारी नही किए गऐ है राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में आयु तथा अन्य छूट लिऐ जाने के बावजूद भी अनु.जाति जन जाति वर्ग के अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करते है उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध ही चयनित किया जाता रहा है। दिनांक 26.4.2017 का परिपत्र सरकार द्वारा आनन फानन में बिना किसी आधार के जारी कर इन वर्गो के हितों पर कुठाराघात करने हेतु जारी किया गया है। इससे इन वर्गों को बहुत हानि हो रही है, इस तथ्य को लेकर राज्य में इस वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है।**

अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आरक्षण मंच, राजस्थान निवेदन करता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक **26 जुलाई, 2017 को प्रत्याहृत (withdraw) कर इस वर्ग के अभ्यर्थी जो सामान्य/मेरिट के बराबर अंक प्राप्त करतें हैं उन्हे अनारक्षित श्रेणी के विरूद्ध ही चयनित कर नियुक्तियां दी जाने का प्रावधान पूर्वानुसार लागू करने हेतु कारवाई करने का श्रम करें।**

भवदीय

(जे.पी.विमल)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि–समस्त माननीय विधायक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधानसभा क्षेत्र राजस्थान।